प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बरेली।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2024**

विषयः-श्री बहोरन लाल मौर्य, मा0 सदस्य विधान परिषद को उनके नोडल जनपद बरेली के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम किश्त की धनराशि रु0 2.50 करोड़, जी0एस0टी0 सहित अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-19/2024/154/38-9002(002)/5/2022 दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम किश्त की धनराशि रु0 122750.00 लाख, जी0एस0टी0 सहित (रु0 बारह अरब सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र, जी0एस0टी0 सहित) अवमुक्त की जा चुकी है। श्री बहोरन लाल मौर्य, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 18.07.2024 को शपथ ग्रहण की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री बहोरन लाल मौर्य, मा0 सदस्य विधान परिषद को उनके नोडल जनपद बरेली के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये रु0 250.00 लाख, जी0एस0टी0 सहित (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्रावधान तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(5) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति मा0 विधान परिषद सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04.03.2024 में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रु0 250.00 लाख, जी0एस0टी0 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र, जी0एस0टी0 सहित) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-013 लेखा शीर्षक 4515008000600 विधान मंडल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्य मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-30(1)/2024/वीआईपी-48/38-9002(002)/5/2022तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- श्री बहोरन लाल मौर्य, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग उ0प्र0, शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
11- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- जिलाधिकारी बरेली, उ0प्र0।
13- कोषाधिकारी बरेली, उ0प्र0।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0, शासन।
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
16- गार्डबुक।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।